



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III — खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]
No. 36]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 2002/फाल्गुन 20, 1923
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 2002/PHALGUNA 20, 1923

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2002

सं. एन-10/9/2001-पी.पी. सी. — प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 9 की उपधारा (2) से पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निगम, निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (कनिष्ठ समूह "घ" पद) सेवा विनियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आरंभिक गठन :—सभी व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ से ठीक पूर्व समूह "घ" पद नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं, इन नियमों के अधीन समूह घ कर्मचारीवृंद के रूप में नियुक्त किए समझे जाएंगे। इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व उनके द्वारा की गई सेवा को अगली श्रेणी में प्रोन्नति आदि के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए सम्मिलित किया जाएगा।

3. पद संख्या और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 4 से 11 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

तबत पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि विगम को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य मक्षकारों की लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति :—जहाँ विगम की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेख्यद्वारक केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन से आदेश द्वारा किसी व्यक्तियों की किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा पदों से संबंधित इन विनियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

7. निर्वचन :—यदि, इन विनियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न है, तो विनिश्चय के लिए केन्द्र सरकार की निर्दिष्ट किया जाएगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वैतनमान	योग्यता के आधार पर चयन या चयन सह ज्येष्ठता के आधार पर चयन	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिश्चित	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निश्चित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में भी लागू होंगी या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
1. पुस्तकालय परिचर	*36 (2001) *वर्तमान के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	2650 65 3300 70 4000 रु.	चयन सह ज्येष्ठता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	श्रेणी जिसमें प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/आगेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
8	9	10	11
शून्य	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	2610-60-3150-65-3540 रु. वैतनमान में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले दपतरी/दपतरी-सह-पैस्टेटर ऑपरेटर/स्टुडियो परिचर। ऐसा न होने की स्थिति में रु. 2550-55-2660-60-3200 वैतनमान में 6 वर्ष की नियमित सेवा वाले चपरासी।	पदीनति/पुष्टिकरण के लिए : *1. आकाशवाणी/दूरदर्शन के कार्यालय/केन्द्र में सहायक केन्द्र अभियंता/सहायक केन्द्र निदेशक अथवा समकक्ष स्तर का अधिकारी—अध्यक्ष *2. उस कार्यालय में सहायक अभियंता/कार्यक्रम निष्पादक अथवा समकक्ष स्तर का अधिकारी—सदस्य *3. प्रशासन अधिकारी/प्रधान लिपिक/लेखकार—सदस्य * केन्द्र के ज्येष्ठतम प्रमुख अधिकारी द्वारा नामित किया जाएगा।

1	2	3	4	5	6	7
1. स्टुडियो परिचर	*59 (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	2650-65 3300-70- 4000 रु.	चयन-सह-ज्येष्ठता	25 वर्ष (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष श्रेणियों के मामले में शिथिल की जा सकती हैं)	मिडिल स्तर की परीक्षा पास। स्वस्थ, एवं चुस्त तथा जो अंग्रेजी बोलना और समझना जानता हो।	नहीं

8	9	10	11
एक वर्ष	प्रोन्नति द्वारा ऐसा न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा। दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति—उसी कार्यालय में कार्यरत स्टुडियो गार्ड और दफ्तरी स्थानांतरण—आकाशवाणी/दूरदर्शन के अन्य केन्द्रों में कार्यरत स्टुडियो परिचर	1. कार्यालय/केन्द्र का प्रमुख—अध्यक्ष 2. उप निदेशक—सदस्य (समाचार सेवा प्रभाग और विदेश सेवा विभाग के मामले में सहायक केन्द्र निदेशक/सहायक केन्द्र अभियंता और जहां सहायक केन्द्र निदेशक/सहायक केन्द्र अभियंता केन्द्र प्रभारी हों वहां किसी एक कार्यक्रम निष्पादक/सहायक अभियंता को सदस्य नामित किया जा सकता है।) 3. प्रशासन अधिकारी/प्रधान लिपिक/ (जहां प्रशासन अधिकारी/मुख्य लिपिक उपलब्ध नहीं है वहां ऐसे अधिकारी को सहयोजित किया जा सकता है जिसे अभ्यर्थियों के काम की जानकारी हो) —सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
3. रिकार्ड सार्टर	*2 (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	2650-65 3300-70- 4000 रु.	चयन-सह-ज्येष्ठता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11
शून्य	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	ग्रेड में दफ्तरी के पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की है।	आकाशवाणी/दूरदर्शन महानिदेशालय के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति :— *1. उपनिदेशक (प्रशासन) —(मुख्यालय) —अध्यक्ष *2. उप निदेशक (प्रशासन) —सदस्य *3. अनुभाग अधिकारी (कर्मचारी 5 अनुभाग) —सदस्य *1. आकाशवाणी कार्यालय/केन्द्र में सहायक केन्द्र अभियंता/सहायक केन्द्र निदेशक अथवा समकक्ष स्तर का अधिकारी —अध्यक्ष

- *2. सहायक अभियंता/कार्यक्रम कार्यपालक—सदस्य
 *3. प्रशासन अधिकारी/प्रधान लिपिक/लेखाकार—सदस्य
 * उप महानिदेशक (प्रशासन), आकाशवाणी द्वारा नामित किए जाएंगे।

1	2	3	4	5	6	7
4. स्टूडियो गार्ड	*23 (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	2610-60 3150-65- 3540 रु.	चयन-सह-ज्येष्ठता	25 वर्ष (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष श्रेणियों के मामले में शिथिल की जा सकती है)	मिडिल स्तर की परीक्षा पास। स्वस्थ, एवं चुस्त तथा जो अंग्रेजी बोलना और समझना जानता हो।	नहीं

8	9	10	11
एक वर्ष	प्रोन्नति द्वारा ऐसा न हो सकने पर स्थानांतरण द्वारा। दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति—उसी कार्यालय में कार्यरत स्टूडियो गार्ड और दफ्तरी स्थानांतरण—आकाशवाणी/दूरदर्शन के अन्य केन्द्रों में कार्यरत स्टूडियो परिचर।	1. कार्यालय/केन्द्र का प्रमुख—अध्यक्ष 2. उप निदेशक—सदस्य (समाचार सेवा प्रभाग और विदेश सेवा विभाग के मामले में सहायक केन्द्र निदेशक/सहायक केन्द्र अभियंता और जहा सहायक केन्द्र निदेशक/सहायक केन्द्र अभियंता केन्द्र प्रभारी हों वहां किसी एक कार्यक्रम कार्यपाल/सहायक अभियंता को सदस्य नामित किया जा सकता है। 3. प्रशासनिक अधिकारी/प्रधान लिपिक (जहां प्रशासनिक अधिकारी/मुख्य लिपिक उपलब्ध नहीं है वहां ऐसे अधिकारी को सहयोजित किया जा सकता है जिसे अभ्यर्थियों के काम की जानकारी हो)—सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
5. दफ्तरी	*219 (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	2610-60 3150-65- 3540 रु.	चयन-सह-ज्येष्ठता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11
लागू नहीं होता	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	उसी कार्यालय में कार्यरत चपरासी जिसने श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो।	प्रोन्नति/पुष्टिकरण के लिए : (1) आकाशवाणी/दूरदर्शन के कार्यालय/केन्द्र में सहायक केन्द्र निदेशक अभियंता/सहायक केन्द्र—अध्यक्ष

11

(2) उस कार्यालय में सहायक अभियंता/कार्यक्रम निष्पादक अथवा समकक्ष स्तर का अधिकारी—

सदस्य

(3) प्रशासन अधिकारी/प्रधान लिपिक/लेखाकार—

सदस्य

आकाशवाणी/दूरदर्शन महानिदेशालय के लिए:

*1. उपनिदेशक (प्रशासन) (मुख्यालय)—अध्यक्ष

*2. उप निदेशक (प्रशासन) —सदस्य

*3. अनुभाग अधिकारी (कर्मचारी 5 अनुभाग)—

सदस्य

* उप महानिदेशक (प्रशासन), आकाशवाणी द्वारा नामित किए जाएंगे।

1	2	3	4	5	6	7
6. दफ्तरी सह गेस्टर आपरेटर	*1 (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	2610-60 3150-65 3540 रु.	चयन सह प्थक्ता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11
लागू नहीं होता	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	उसी कार्यालय में कार्यरत चपरासी जिसने श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो।	पुष्टिकरण के लिए : (1) आकाशवाणी / दूरदर्शन के कार्यालय/केन्द्र में सहायक केन्द्र निदेशक अभियंता/सहायक केन्द्र निदेशक अथवा समकक्ष स्तर का अधिकारी— अध्यक्ष (2) उस कार्यालय में सहायक अभियंता/कार्यक्रम निष्पादक अथवा समकक्ष स्तर का अधिकारी— सदस्य (3) प्रशासन अधिकारी/प्रधान लिपिक/लेखाकार— सदस्य आकाशवाणी/दूरदर्शन महानिदेशालय के लिए: *1. उपनिदेशक (प्रशासन) (मुख्यालय)—अध्यक्ष *2. उप निदेशक (प्रशासन) —सदस्य *3. अनुभाग अधिकारी (कर्मचारी 5 अनुभाग)— सदस्य * उप महानिदेशक (प्रशासन), आकाशवाणी द्वारा नामित किए जाएंगे।

1	2	3	4	5	6	7
7. सार्टर	*22 (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	2610-60 3150-65- 3540 रु.	योग्यता के आधार पर चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11
2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	संबंधित स्टेशन/केन्द्र में कार्यरत उन चपरासियों में से पदोन्नति की जाएगी, जिन्होंने उक्त श्रेणी में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है।	(1) केन्द्र निदेशक—अध्यक्ष (2) दर्शक अनुसंधान अधिकारी—सदस्य (3) आकाशवाणी / दूरदर्शन केन्द्र के निदेशक द्वारा स्थानीय बाहरी अधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा—सदस्य।

1	2	3	4	5	6	7
8. लिफ्टमैन	—	2610-60 3150-65- 3540 रु.	लागू नहीं होता	25 वर्ष से कम	बिजली से चलने वाली लिफ्टों के कार्य की जानकारी होनी चाहिए।	लागू नहीं होता

8	9	10	11
छ: मास	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
9. गेस्टेटर आपरेटर (कनिष्ठ वेतनमान)	*10 (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	2610-60 3150-65- 3540 रु.	चयन-सह- ज्येष्ठता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11
शून्य	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	उसी कार्यालय में 2550-55-2660-60-3200 रु. के वेतनमान में कार्यरत चपरासी जिसने उक्त ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो और जो डुप्लीकेटिंग मशीन चलाने में दक्ष हो।	<p>प्रोन्नति/पुष्टिकरण के लिए :</p> <p>*1. आकाशवाणी /दूरदर्शन के कार्यालयों/केन्द्रों में सहायक केन्द्र अभियंता/सहायक केन्द्र निदेशक अथवा समकक्ष स्तर का अधिकारी—अध्यक्ष</p> <p>*2. उस कार्यालय में सहायक अभियंता/कार्यक्रम निष्पादक अथवा समकक्ष स्तर का अधिकारी—सदस्य</p> <p>*3. प्रशासन अधिकारी/प्रधान लिपिक/लेखाकार—सदस्य</p> <p>आकाशवाणी/दूरदर्शन महानिदेशालय के लिए :</p> <p>@1. उपनिदेशक (प्रशासन) —(मुख्यालय)—अध्यक्ष</p> <p>2. उप निदेशक (प्रशासन)—सदस्य</p> <p>3. अनुभाग अधिकारी (कर्मचारी 5 अनुभाग—सदस्य</p> <p>*वरिष्ठतम केन्द्र अभियंता अथवा केन्द्र निदेशक द्वारा नामित किए जाएंगे।</p> <p>@संबंधित उप महानिदेशक प्रशासन द्वारा नामित किए जाएंगे।</p>

1	2	3	4	5	6	7
10. प्रधान सफाईवाला	*2 (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	2610-60 3150-65 3540 रु.	चयन सह प्पेक्षता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11
शुल्क	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	सफाईवाला जिसने रु. 2550-55 2660-60 3200 के वेतनमान में उसी श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो।	<p>प्रोन्नति, मुक्तिकरण के लिए :</p> <p>*1. आकाशवाणी/दूरदर्शन के कार्यालयों/केन्द्रों में सहायक केन्द्र अभियंता/सहायक केन्द्र निदेशक अथवा समकक्ष स्तर का अधिकारी अध्यक्ष</p> <p>*2. उस कार्यालय में सहायक अभियंता/कार्यक्रम निष्पादक—सदस्य</p> <p>*3. प्रशासन अधिकारी/प्रधान लिपिक/लेखाकार—सदस्य</p> <p>आकाशवाणी/दूरदर्शन महानिदेशालय के लिए :</p> <p>*1. उपनिदेशक (प्रशासन) मुख्यालय—अध्यक्ष</p> <p>*2. उप निदेशक (प्रशासन)—सदस्य</p> <p>*3. अनुभाग अधिकारी (कर्मचारी 5 अनुभाग)—सदस्य</p> <p>* संबंधित उप महानिदेशक (प्रशासन) द्वारा नामित किए जाएंगे।</p>

1	2	3	4	5	6	7
11. चपरासी	*1019 (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	2550-55 2660-60 3200 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (35 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी : आयु सीमा अवशोषित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों के नाम भेजने के लिए कहा गया हो।	आठवीं कक्षा पास वैकल्पिक योग्यताएं : (क) होम गार्ड/सिविल डिफेंस स्क्व सेवक के रूप में 3 वर्ष की सेवा; और (ख) होमगार्ड और सिविल डिफेंस में कम से कम बुनियादी और पुनश्चर्चा पाठ्य क्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।	नहीं
8	9	10	11			
2 वर्ष	75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, 25 प्रतिशत स्थानांतरण द्वारा	स्थानांतरण : दूरदर्शन/आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों/कार्यालयों में समूह (घ) पद पर कार्यरत व्यक्ति जिनका वेतनमान चपरासी के समान है और जिन्होंने 5 वर्ष की नियमित सेवा की है तथा जिन्होंने प्रारम्भिक	1. केन्द्र/कार्यालय प्रमुख—अध्यक्ष 2. उप निदेशक—(समाचार सेवा प्रभाग अथवा विदेश सेवा प्रभाग के मामले में सहायक केन्द्र निदेशक/सहायक केन्द्र अभियंता) जहां सहायक केन्द्र निदेशक/सहायक केन्द्र अभियंता केन्द्र/कार्यालय प्रभारी होता है उस मामले में कार्यक्रम निष्पादक/सहायक अभियंता को			

10

11

8

2 वर्ष

शिक्षा प्राप्त की है और जो हिन्दी या अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा पढ़ना जानते हैं।

सदस्य नामित किया जाए। सदस्य प्रशासन अधिकारी/प्रधान लिपिक/। अहाँ प्रशासनिक अधिकारी/प्रधान लिपिक उपलब्ध न हो किसी अन्य अधिकारी को नामित किया जा सकता है।

सदस्य

टिप्पणी : 1—चपरासी के पद पर व्यक्तियों की नियुक्ति होम गार्ड के रूप में प्रशिक्षण लेने के तात्पर्य के अधीन होगी। इन विनियमों में किसी बात के होते भी, इन विनियमों के अधीन चपरासी के पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को तीन वर्ष की अवधि के लिए होम गार्ड के रूप में प्रशिक्षण लेना होगा; परन्तु, कमांडेंट जनरल होम गार्ड प्रशिक्षण के दौरान किसी व्यक्ति के अनुपालन और प्रशिक्षण के स्तर को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण की अवधि को कम करके दो वर्ष कर सकता है।

टिप्पणी : 2—यथासंभव यह परिकल्पित किया जाता है कि सामान्यतः प्रशिक्षण की अवधि कार्यालय समय से बाहर होगी। तथापि, यदि कर्मचारी को कार्यालय समय के दौरान प्रशिक्षण लेना अपेक्षित होगा तो प्रशिक्षण की अवधि को छुट्टी माना जाएगा। होम गार्ड संगठन के सदस्य के रूप में यदि किसी कर्मचारी का कार्यालय समय के दौरान प्रशिक्षण के अलावा कोई छुट्टी और कार्य करना आवश्यक होगा तो अनुपस्थिति की उस अवधि को विशेष आकस्मिक छुट्टी माना जाएगा। कर्मचारी को अपने सिविल बैतन के अलावा ऐसे भत्ते लेने की अनुमति दी जाएगी जो होम गार्ड नियमों के अधीन उसे दिए जाएंगे। इसलिए उसे प्रशिक्षण अवधि के लिए या कोई अन्य छुट्टी देने के लिए, जो कि उसे होम गार्ड संगठन के सदस्य के रूप में देना अपेक्षित है, अलग से कोई दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।

इन विनियमों के अनुसरण में चपरासी के पद पर भर्ती किए गए व्यक्तियों के नाम नियुक्ता कार्यालय/विभाग द्वारा संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश के संबंधित कमांडेंट जनरल को भेज दिए जाएंगे जिसे महानिदेशक, सिविल डिफेंस, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा इस संबंध में आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। होम गार्ड प्रशिक्षण की शर्तें और निर्बंधन महानिदेशक, सिविल डिफेंस द्वारा समय समय पर निर्धारित अनुदेशों के द्वारा शासित होंगी।

1	2	3	4	5	6	7
12. माली	*151 (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	2550-55 2660-60- 3200 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच	न्यूनतम आठवीं कक्षा पास बागबानी में प्राथमिक ज्ञान एवं कृषि की पृष्ठभूमि हो।	लागू नहीं होता
8	9	10	11			
2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा,	लागू नहीं होता।		1. आकाशवाणी/दूरदर्शन के केन्द्र/कार्यालय में सहायक केन्द्र निदेशक/सहायक केन्द्र अभियन्ता या समकक्ष स्तर का अधिकारी —अध्यक्ष 2. उस कार्यालय में सहायक अभियन्ता/कार्यक्रम निष्पादक या समकक्ष स्तर का अधिकारी —सदस्य 3. प्रशासन अधिकारी/प्रधान लिपिक/ लेखाकार (पुष्टि आदि के लिए) —सदस्य		
1	2	3	4	5	6	7
13. फराश	*276 (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधधीन	2550-55 2660-60- 3200 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच	पांचवीं कक्षा पास	लागू नहीं होता

8	9	10	11
2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	स्थायीकरण के लिए : <ol style="list-style-type: none"> 1. आकाशवाणी/दूरदर्शन के कार्यालय/केन्द्र में सहायक केन्द्र अभियन्ता/सहायक केन्द्र निदेशक अथवा समकक्ष स्तर का अधिकारी —अध्यक्ष 2. उस कार्यालय में सहायक अभियन्ता/कार्यक्रम निष्पादक अथवा समकक्ष स्तर का अधिकारी —सदस्य 3. प्रशासन अधिकारी/प्रधान लिपिक/ लेखाकार —सदस्य आकाशवाणी/दूरदर्शन महानिदेशालय के लिए <ol style="list-style-type: none"> *1. उपनिदेशक (प्रशासन)-मुख्यालय-अध्यक्ष *2. उपनिदेशक (प्रशासन) —सदस्य *3. अनुभाग अधिकारी (कर्म 5 अनुभाग)—सदस्य *संबंधित उपमहानिदेशक (प्रशासन) द्वारा नामित किया जाए।

1	2	3	4	5	6	7
14. पैकर/ मजदूर	*9 (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	2550-55 2660-60-3200 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया हो)	अनिवार्य : पार्सलों को पैक करने और उनकी पैकिंग खोलने तथा पार्सल भेजने का कुछ अनुभव। व्यवस्थित : हिन्दी और अंग्रेजी पढ़ने एवं लिखने की योग्यता।	लागू नहीं होता

8	9	10	11
2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, (प्रारंभिक प्रक्रम पर रिक्तियों को प्रसार भारती में कार्यरत उन अनियत मजदूरों में से भरा जाएगा जो समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार समूह "घ" पदों पर नियमित किए जाने के पात्र हैं)।	लागू नहीं होता	<ol style="list-style-type: none"> 1. केन्द्र/कार्यालय में प्रमुख —अध्यक्ष 2. सहायक केन्द्र निदेशक/सहायक केन्द्र अभियन्ता (जहां सहायक केन्द्र निदेशक/सहायक केन्द्र अभियन्ता कार्यालय अध्यक्ष हो वहां कार्यक्रम निष्पादक/सहायक अभियन्ता) —सदस्य 3. प्रशासन अधिकारी/प्रधान लिपिक —सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
15. सफाईवाला	*412 (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	2550-55 2660-60-3200 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (35 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पणी : (आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के	5वीं कक्षा उत्तीर्ण	लागू नहीं होता

5

लिए नियत की अंतिम तारीख होगी) नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जानी वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8	9	10	11
2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	स्थायीकरण के लिए : <ol style="list-style-type: none"> 1. आकाशवाणी/दूरदर्शन के कार्यालय/केन्द्र में सहायक केन्द्र अभियन्ता/सहायक केन्द्र निदेशक अथवा समकक्ष स्तर का अधिकारी —अध्यक्ष 2. उस कार्यालय में सहायक अभियन्ता/कार्यक्रम निष्पादक अथवा समकक्ष स्तर का अधिकारी —सदस्य 3. प्रशासन अधिकारी/प्रधान लिपिक/लेखाकार —सदस्य आकाशवाणी/दूरदर्शन महानिदेशालय के लिए : <ol style="list-style-type: none"> *1. उपनिदेशक (प्रशासन) - मुख्यालय —अध्यक्ष *2. उप निदेशक (प्रशासन) —सदस्य *3. अनुभाग अधिकारी (कर्म 5 अनुभाग) —सदस्य * संबंधित उपमहानिदेशक (प्रशासन) द्वारा नामित किए जाएंगे।

1	2	3	4	5	6	7
16. फराश सह-सफाई वाला	*276 (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	2550-55 2660-60- 3200 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच	5वीं कक्षा उत्तीर्ण	लागू नहीं होता

8	9	10	11
2 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	पुष्टिकरण के लिए : <ol style="list-style-type: none"> 1. आकाशवाणी/दूरदर्शन के कार्यालय/केन्द्र में सहायक केन्द्र अभियन्ता/सहायक केन्द्र निदेशक अथवा समकक्ष स्तर का अधिकारी —अध्यक्ष 2. उस कार्यालय में सहायक अभियन्ता/कार्यक्रम निष्पादक अथवा समकक्ष स्तर का अधिकारी —सदस्य 3. प्रशासन अधिकारी/प्रधान लिपिक/लेखाकार —सदस्य

11

आकाशवाणी/दूरदर्शन महानिदेशालय के लिए :

- *1. उपनिदेशक (प्रशासन)-मुख्यालय —अध्यक्ष
 *2. उपनिदेशक (प्रशासन) —सदस्य
 *3. अनुभाग अधिकारी (कर्म 5 अनुभाग) —सदस्य
 * संबंधित उपमहानिदेशक (प्रशासन) द्वारा नामित किए जाएंगे।

1	2	3	4	5	6	7
17. सुरक्षागार्ड	*1130 (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	2550-55 2660-60- 3200 रु.	लागू नहीं होता	35 वर्ष	(1) भूतपूर्व सैनिक, जिसने सशस्त्र, सेनाओं में कम से कम 3 वर्ष की सेवा की हो तथा सेना से सेवा-मुक्ति प्रमाण-पत्र में जिसके चरित्र का आकलन बहुत अच्छा किया गया हो, या (2) भूतपूर्व पुलिस कार्मिक जिसने केन्द्र या राज्य पुलिस में कम से कम 3 वर्ष सेवा की हो तथा सेवा-मुक्ति प्रमाणपत्र में जिसके चरित्र का आकलन बहुत अच्छा किया गया हो।	लागू नहीं होता

8	9	10	11
1 वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	पुष्टिकरण के लिए : 1. आकाशवाणी/दूरदर्शन के कार्यालय/केन्द्र में सहायक केन्द्र अभियन्ता/सहायक केन्द्र निदेशक अथवा समकक्ष स्तर का अधिकारी —अध्यक्ष 2. उस कार्यालय में सहायक अभियन्ता/कार्यक्रम निष्पादक अथवा समकक्ष स्तर का अधिकारी —सदस्य 3. प्रशासन अधिकारी/प्रधान लिपिक/लेखाकार —सदस्य आकाशवाणी/दूरदर्शन महानिदेशालय के लिए : *1. उपनिदेशक (प्रशासन)-मुख्यालय —अध्यक्ष *2. उपनिदेशक (प्रशासन) —सदस्य *3. अनुभाग अधिकारी (कर्म 5 अनुभाग) —सदस्य * संबंधित उपमहानिदेशक (प्रशासन) द्वारा नामित किए जाएंगे।

अनिल बैजल, कार्यकारी सदस्य

[सं. विज्ञापन-III/IV/असाधारण/163/01]

PRASAR BHARATI
(BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2002

No. N-10/9/2001-PPC.—In exercise of the powers conferred by 33 read with sub-section (2) of Section 9 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Corporation, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Junior Group 'D' posts) Service Regulations, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Initial Constitution.—All persons appointed at the commencement of these rules holding the posts of Group 'D' on regular basis shall be deemed to have been appointed as Group 'D' employees under these rules. The service rendered by them before the commencement of the rules shall be taken into account for deciding the eligibility for promotion etc. to the next grade.

3. Number of posts and scales of pay.—The number of posts and their scales of pay shall be as specified in columns (2) and (3) of the schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (4) to (11) of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) Who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to said posts :

Provided that the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons or posts and also with the approval of the Central Government.

7. Interpretation.—If any question relating to interpretation of these regulations arises, it shall be referred to the Central Government for its decision.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum-seniority	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5
1. Library Attendant	36* (2001) *(Subject to variation dependant on workload)	Rs. 2650-65-3300-70-4000	Selection-cum-Seniority	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	
6	7	8	9	
Not applicable	Not applicable	Nil	100% by promotion	
Grade from which Recruitment by promotion/deputation/absorption to be made.		If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		
10		11		
Daftries/Dastry-cum-Gestetner Operator/Studio Attendant in the scale of Rs. 2610-60-3150-65-3540 with 3 years regular service failing which peons with 6 years regular service in the grade of Rs. 2550-55-2660-60-3200.		For Promotion/Confirmation : *(1) Assistant Station Engineer/Assistant Station Director or an officer of equivalent rank in the office/Station of Akashvani/Kendra—Chairman *(2) Assistant Engineer/Programme Executive or an officer of equivalent rank in that office—Member *(3) Administrative Officer/Head Clerk/Accountant—Member * To be nominated by the Senior most Head of the Station or Kendra.		
1	2	3	4	5
2. Studio Attendant	*59* (2001) *(Subject to variation dependant on work load)	Rs. 2650-65-3300-70-4000	Selection-cum-Seniority	25 years (relaxable in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time).
6	7	8	9	
Middle School Standard pass, well built active and able to speak and understand English.	No	One year	By promotion failing which by transfer, failing both by direct recruitment.	
10		11		
Promotion : Studio Guards and Daftries in the same office. Transfer : Studio Attendant from other Stations/Kendra's of Akashvani/Doordarshan.		(1) Head of Office/Station/Kendra—Chairman (2) Deputy Director (in Member the case of News Service Division and External Services Division)/Assistant Station Director/Assistant Station Engineer/where Assistant Station Director/Assistant Station Engineer is in charge of Station/Office, one of the Programme Executive/Assistant Engineer, may be nominated—Member (3) Administrative Officer/Head Clerk where Administrative Officer/Head Clerk are not available any other officer who is familiar with the work of the candidates may be associated—Member		

1	2	3	4	5
3. Record Sorter	2* (2001) *(Subject to variation dependant on work load)	Rs. 2650-65-3300-70-4000	Selection-cum-Seniority	Not applicable
6	7	8	9	
Not applicable	Not applicable	Nil	100% by promotion	
10	11			
Daftary with three years regular service in the grade.		Departmental Promotion Committee for Directorate of Akashvani/Doordarshan : *(1) Deputy Director Administration (Headquarters) — Chairman *(2) Deputy Director Administration — Member *(3) Section Officer (Staff-V Section)—Member For Station/Office of Akashvani/Kendra : (1) Assistant Station Engineer/Assistant Station Director or an officer of Equivalent rank in the office/station of Akashvani — Chairman (2) Assistant Engineer/Programme Executive — Member (3) Administrative Officer/Head Clerk/Accountant — Member * To be nominated by Deputy Director General (Administration) Akashvani.		
1	2	3	4	5
4. Studio Guard	23* (2001) *(Subject to variation dependant on work load)	Rs. 2610-60-3150-65-3540	Selection-cum-Seniority	25 years (relaxable in the case of Schedule Castes and Schedule Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time).
6	7	8	9	
Middle School Standard pass, well built, active and able to speak and understand English	No. However in case of deputation maximum age limit is 55 years as on date of receipt of application	Two years for direct recruits	By promotion failing which by transfer, failing both by direct recruitment	
10	11			
Promotion : Peons in the Station/Office of Akashvani/Doordarshan. Transfer : Studio Guards from other Stations/Offices of Akashvani/Doordarshan.		(1) Head of Station/Office/Kendra — Chairman (2) Deputy Director (in Member the case of News Service Division and External Service Division)/Assistant Station Director/Assistant Station Engineer/(where Assistant Station Director/Assistant Station Engineer is incharge of a		

11

station/office one of the Programme Executive/ Assistant Engineer).—Member

- (3) Administrative Officer/Head Clerk where Administrative Officer/Head Clerk is not available any other officer who is familiar with the work of the candidates may be associated —Member

1	2	3	4	5
5. Daftry	*219 (2001) *(Subject to variation dependant on work load)	Rs. 2610-60-3150-65-3540	Selection-cum-Seniority	Not applicable

6	7	8	9
Not applicable	Not applicable	Not applicable	100% by promotion

10	11
Peons in the same office with three years regular service in the grade.	<p>For promotion/confirmation :</p> <p>(1) Assistant Station Engineer/Assistant Station Director or an officer of equivalent rank in the office/station of Akashvani/Kendra—Chairman</p> <p>(2) Assistant Engineer/Programme Executive or an officer of equivalent rank in that office—Member</p> <p>(3) Administrative Officer/Head Clerk/Accountant —Member</p> <p>For Directorate :</p> <p>* (1) Deputy Director Administration (Headquarters) —Chairman</p> <p>* (2) Deputy Director Administration —Member</p> <p>* (3) Section Officer. (Staff V Section) —Member</p> <p>* To be nominated by Deputy Director General (Administration), Akashvani.</p>

1	2	3	4	5
6. Daftry-cum-Gestetner Operator	*1 (2001) *(Subject to variation dependant on work load)	Rs. 2610-60-3150-65-3540	Selection-cum-Seniority	Not applicable

6	7	8	9
Not applicable	Not applicable	Nil	100% by promotion

10

Points in the case officer with three years regular service in the grade

11

For promotion/confirmation :

- (1) Assistant Station Engineer/Assistant Station Director or an officer of equivalent rank in the office/station of Akashvani/Doodh Darshan Chairman
- (2) Assistant Engineer/Programme Executive or an officer of equivalent rank in that office Member
- (3) Administrative Officer/Head Clerk/Accountant Member

For Directorate of Akashvani/Doodh Darshan :

- *(1) Deputy Director Administration (Headquarters) Chairman
- *(2) Deputy Director Administration Member
- *(3) Section Officer (Staff V Section) Member
- * To be nominated by Deputy Director General (Administration)

1
Not applicable

3
* 33 (2001)
*(Subject to variation dependant on work load)

4
Rs. 3610-
60-1130-
65-1340

4
Selection by merit

5
Not applicable

6
Not applicable

7
Not applicable

8
Two years

9
By promotion

10
Promotion from amongst Persons with at least 4 years regular service in the grade in the Station Kendra concerned

11

- (1) Station Director Chairman
- (2) Audience Research Officer Member
- (3) One outside to be associated locally by Station Director/TV Centre Member

1
8 Lakh

4
Rs. 2610-
60-1130-
65-1340

4
Not applicable

5
Below 25 years

6
Should be conversant with the operation of electrical lifts

7
Not applicable

8
Six months

9
100% by direct recruitment

10
Not applicable

11
Not applicable

1	2	3	4	5
9. Gestetner Operator (Junior Scale)	*10 (2001) *(Subject to variation dependant on work load)	Rs. 2610-60-3150-65-3540	Selection-cum-Seniority	Not applicable
6	7	8	9	
Not applicable	Not applicable	Nil	100% by promotion	
10	11			
Peons in the same office in scale of Rs. 2550-55-2660-60-3200 with 3 years regular service in the grade and having proficiency in handling the duplicating machine.	For promotion/confirmation : *(1) Assistant Station Engineer/Assistant Station Director or an officer of an equivalent rank in the offices/stations of Akashvani/Kendra —Chairman *(2) Assistant Engineer/Programme Executive or an officer of equivalent rank in that office—Member *(3) Administrative Officer/Head Clerk/Accountant —Member For Directorate of Akashvani/Doordarshan : @(1) Deputy Director (Headquarters) Administration — Chairman (2) Deputy Director Administration — Member (3) Section Officer. (Staff V Section) — Member * To be nominated by the Senior most Station Engineer or Station Director. @ To be nominated by the concerned Deputy Director General (Administration).			
1	2	3	4	5
10. Head Safaiwala	*2 (2001) *(Subject to variation dependant on work load)	Rs. 2610-60-3150-65-3540	Selection-cum-Seniority	Not applicable
6	7	8	9	
Not applicable	Not applicable	Nil	100% by promotion	
10	11			
Safaiwala in the grade of Rs. 2550-55-2660-60-3200 with three years of regular service in the grade.	For promotion/confirmation : *(1) Assistant Station Engineer/Assistant Station Director or an officer of an equivalent rank in the offices/station of Akashvani/Doordarshan —Chairman *(2) Assistant Engineer/Programme Executive —Member			

11

* (3) Administrative Officer/Head Clerk/Accountant
— Member

For Directorate of Akashvani/Doordarshan :

* (1) Deputy Director (Headquarters) Administration
— Chairman

* (2) Deputy Director Administration — Member

* (3) Section Officer (Staff V Section) — Member

* To be nominated by the concerned Deputy Director General (Administration).

1	2	3	4	5
11. Peon	* 1019 (2001) *(Subject to variation dependant on work load)	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not applicable	Between 18 and 25 years (relaxable upto 35 years) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Ex-change are asked to submit names.
6	7	8	9	10
Middle School Standard pass. Desirable qualifications : (a) 3 years service as Home Guard/Civil Defence Volunteers and (b) Training in at least 'Basic' and 'Refresher' courses in the Home Guards and Civil Defence.	No	Two years	75% by direct recruitment, 25% by transfer.	

Transfer :

Persons holding Group 'D' posts at the stations/offices of Akashvani/Doordarshan having the same pay scale as that of Peon and who have put in minimum five years regular service and having at least elementary literacy and ability to read either English or Hindi or Regional Languages.

11

- (1) Head of the Station/office — Chairman
- (2) Deputy Director (in case of News Service Division or External Service Division/Assistant Station Director/Assistant Station Engineer (where Assistant Station Director/Assistant Station Engineer incharge of a Station/Office one of the Programme Executive/Assistant Engineer may be nominated) — Member
- (3) Administrative Officer/Head Clerk (where Administrative Officer/Head Clerk are not available any other officer may be associated)

Note 1 : Liability of persons appointed as Peons to undergo training as Home Guards. Notwithstanding anything contained in these regulations every person appointed as a Peon under these regulations shall undergo training as a Home Guard for a period of three years; provided that the Commandant General, Home Guards may having regard to the performance and standard of training achieved by any person during the period of training reduce such period to two years.

Note 2 : As far as possible it is envisaged that the normal period of training shall be outside office hours. However, if the employee is required to undergo training during office hours, the period of training shall be treated as duty. If as a member of the Home Guards Organisation the employee is required to perform any duties and functions (apart from training) during office hours, the period of absence shall be treated as Special Casual leave. The employee shall be permitted to receive in addition to their civil pay, such allowance as may be paid to them under the Home Guards Rules. They shall not, therefore, be given any TA/DA separately for the training period or for the performance of any other duty which they are required to perform as member of the Home Guards Organisation.

The names of the persons recruited to the post of Peon in accordance with these regulations may be sent by the employing office/department to the concerned Commandant General, Home Guards of the respective State/ Union Territories to whom necessary instructions in this regard have been issued by the Director General, Civil Defence, Ministry of Home Affairs, New Delhi. The terms and conditions of the Home Guards training would be governed by such instructions as are laid down from time to time by the Director General, Civil Defence.

governed by such instructions as are laid down from time to time by the Director General, Civil Defence.

1	2	3	4	5
12. Mali	*151 (2001) *(Subject to variation dependant on work load)	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not applicable	Between 18 and 25 years
6	7	8	9	
Minimum 8th standard pass and possessing elementary knowledge of gardening and agri-cultural background.	Not applicable	Two years	100% by direct recruitment	
10	11			
Not applicable	(1) Assistant Station Director/Assistant Station Engineer or an officer of equivalent rank in the offices of station/Akashvani/Doordarshan—Chairman (2) Assistant Engineer/Programme Executive or an officer of equivalent rank in that office—Member (3) Administrative Officer/Head Clerk/Accountant—Member (For purpose of confirmation etc.)			

1	2	3	4	5
13. Farash	*276 (2001) *(Subject to variation dependant on work load)	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not applicable	Between 18 and 25 years
6	7	8	9	
5th standard pass	Not applicable	Two years	100% by direct recruitment	
10	11			
Not applicable	For Confirmation : (1) Assistant Station Engineer/Assistant Station Director or an officer of equivalent rank in the offices/station of Akashvani/Doordarshan—Chairman			

11				
(2) Assistant Engineer/Programme Executive or an officer of equivalent rank in that office—Member				
(3) Administrative Officer/Head Clerk/Accountant—Member				
For Directorate of Akashvani/Doordarshan				
*(1) Deputy Director Administration (Headquarters)—Chairman				
*(2) Deputy Director Administration—Member				
*(3) Section Officer (Staff V. Section)—Member				
*To be nominated by the concerned Deputy Director General (Administration)				

1	2	3	4	5
14. Packer/Mazdoor	*9 (2001) *(Subject to variation dependant on work-load)	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not applicable	18—25 years (The crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange are requested to forward nominations)

6	7	8	9
Essential : Some experience of packing and unpacking of parcels and dispatching of parcels Desirable : Ability to read and write Hindi and English	Not applicable	Two years	Direct recruitment 100% (in the initial stage the vacancie will be filled up from amongst the casual labourers who have been working in the Prasar Bharati and are eligible for regularisation in Group 'D' posts in terms of instructions issued from time to time).

10	11
Not applicable	(1) Head of stations/Kendra offices—Chairman (2) Assistant Station Director/Assistant Station Engineer (Programme Executive/Assistant Engineer where Assistant Station Director/Assistant Station Engineer is the Head of Office—Member (3) Administrative Officer/Head Clerk—Member

1	2	3	4	5
15. Safaiwala	*412 (2001) *(Subject to variation dependant on work-load)	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable upto 35 years) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India

5

In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

6

7

8

9

5th standard pass

Not applicable

Two years

100% by direct recruitment

10

11

Not applicable

For Confirmation :

- (1) Assistant Station Engineer/Assistant Station Director or an officer of equivalent rank in that office/station of Akashvani/Doordarshan—Chairman
- (2) Assistant Engineer/Programme Executive or an officer of equivalent rank in that office—Member
- (3) Administrative Officer/Head Clerk/Accountant—Member

For Directorate of Akashvani/Doordarshan :

- *(1) Deputy Director Administration (Headquarters)—Chairman
- *(2) Deputy Director Administration—Member
- *(3) Section Officer (Staff V. Section)—Member

*To be nominated by the concerned Deputy Director General (Administration).

1

2

3

4

5

16. Farash-cum-Safaiwala

*276
(2001)
*(Subject to variation dependant on work load)

Rs. 2550-
55-2660-
60-3200

Not applicable

Between 18 and 25 years

6

7

8

9

5th standard pass

Not applicable

Two years

100% by direct recruitment

10

11

Not applicable

For Confirmation :

- (1) Assistant Station Engineer/Assistant Station Director or an officer of equivalent rank in the office/station of Akashvani/Doordarshan—Chairman

11

(2) Assistant Engineer/Programme Executive or an officer of equivalent rank in that office—Member

(3) Administrative Officer/Head Clerk/Accountant—Member

For Directorate of Akashvani/Doordarshan :

*(1) Deputy Director Administration (Headquarters)—Chairman

*(2) Deputy Director Administration—Member

*(3) Section Officer (Staff V. Section)—Member

*To be nominated by the concerned Deputy Director General (Administration).

1	2	3	4	5
17. Security Guard	*1130 (2001) *(Subject to variation dependant on work load)	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not applicable	35 years

6	7	8	9
(1) Ex-serviceman who has put in not less than 3 years of service in the Armed Forces and who has got 'Very Good' character assessment in the Army Discharge Certificate. OR (2) Ex-Police personnel who has put in not less than 3 years of service in the Central or State Police Forces and who has got 'Very Good' character assessment in his Discharge Certificate.	Not applicable	One years	100% by direct recruitment

10	11
Not applicable	For Confirmation : (1) Assistant Station Engineer/Assistant Director or an officer of equivalent rank in the Office/Station of Akashvani/Doordarshan—Chairman (2) Assistant Engineer/Programme Executive or an officer of equivalent rank in that office—Member (3) Administrative Officer/Head Clerk/Accountant—Member For Directorate of Akashvani/Doordarshan : *(1) Deputy Director Administration (Headquarters)—Chairman *(2) Deputy Director Administration—Member *(3) Section Officer Staff V. Section—Member *To be nominated by the concerned Deputy Director General (Administration).

ANIL BAIJAL, Executive Member
[No. ADVT-III/IV/Exty/163/01]